

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.

Tel.: 011-2695168, 8860748880

Email- mpquota@kvs.gov.in

Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 17.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद Shri T.N. Prathapan के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 199 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	AVANDIKA C MENON	SH. ANIL KUMAR C. MOB- 7907186629	1	RAMAVARMA PURAM
2	ADRIKA K.B.	SH. BYJU. K.V. MOB- 9947516794	1	RAMAVARMA PURAM
3	GOVARDHAN P.S.	SH. SANCHLAL. P.S. MOB- 9048988955	1	RAMAVARMA PURAM
4	DHYAN ANOOP	SH. ANOOP SURENDRAN SREYAS MOB- 9677147999	1	RAMAVARMA PURAM
5	ATHMAS JOHN	SH. SANTHOSH JOHN THOOVAL MOB- 9846061120	1	RAMAVARMA PURAM
6	AABEL JOSHA	SH. JOSHA FRANCIS MOB- 9288504709	1	RAMAVARMA PURAM
7	GOWRY PRAVEEN N.P	SH. PRAVEEN KUMAR P.V. MOB- 9745624202	1	RAMAVARMA PURAM
8	EDHAN. S. JOHN	SH. SANTHOSH JOHN MOB- 9846061120	3	RAMAVARMA PURAM
9	SREE HARI	SH. MEETHAL. P.R MOB- 9847175341	1	RAMAVARMA PURAM
10	ANJA I ANIL	SH. ANIL P NAIR MOB- 9037945378	1	RAMAVARMA PURAM

मिशा ठाकुर

कृ. पृ. ३.

**निर्देश:-**

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

पिया दास  
18/8/20

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

**प्रतिलिपि:**

1. Shri T.N. Prathapan माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, ERNAKULAM संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)